



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680]
No. 680]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2009/अग्रहायण 6, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2009/AGRAHAYANA 6, 1931

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 848(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 3.65, 3.66 और 3.67 के स्थान पर, नए नियमों का प्रतिस्थापन.**—भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 में, (जिसे इसमें इसके आगे उक्त नियम कहा गया है) नियम 3.65, 3.66 और 3.67 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्,—

“छ. आने वाली गाड़ी को खतरे की चेतावनी देने वाले सिगनल :

3.65. किसी अवरोध के होने पर आने वाली किसी गाड़ी को चेतावनी देने के लिए रात्रि में लाल क्षण दीप्ति हस्त सिगनल लैम्प या दिन के दौरान एक लाल झंडी का उपयोग किया जाएगा।

3.66 **चेतावनी सिगनलों का प्रयोग.** - यदि किसी ब्लॉक सेक्शन में किसी अवरोध के कारण लाइन को संरक्षित करने की आवश्यकता है और जब रेल सेवक पटाखा रखने के लिए जा रहा है तो नियम 3.65 के अधीन विशेष अनुदेशों द्वारा यथा-विहित सिगनल का उपयोग किया जा सकेगा।

3.67 **चेतावनी सिगनल की जानकारी और उनको पास रखना.**—

(1) (क) सभी संबंधित रेल सेवक जिन्हें रेल प्रशासन द्वारा यह दायित्व सौंपा गया है, नियम 3.65 के अधीन विशेष अनुदेशों द्वारा यथा-विहित ऐसे सिगनल का स्टॉक अपने पास रखेगा;

(ख) रेल प्रशासन, नियम 3.65 के अधीन विशेष अनुदेशों द्वारा यथा-विहित ऐसे सिगनलों का प्रदाय, नवीकरण और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि इन सिगनलों का उपयोग उचित रूप से समझ लिया गया है;

(ग) रेल प्रशासन, नियम 3.65 के अधीन विशेष अनुदेश द्वारा विहित ऐसा सिगनल दोहरी या बहु लाइन, घाट, उपनगरीय या स्वचालित ब्लॉक क्षेत्रों पर कार्य करने वाले गार्ड, लोको पायलट, पेट्रोलैमन, गेटमैन को प्रदाय करेगा।

(2) प्रत्येक रेल सेवक नियम 3.65 के अधीन विशेष अनुदेशों द्वारा यथा-विहित सिगनलों के उपयोग से संबंधित सही ज्ञान रखेगा और वह उन्हें तुरंत प्रयोग के लिए तैयार रखेगा।

(3) प्रत्येक रेल सेवक देखेगा कि उसके प्रभार में काम करने वाले रेल सेवक जो नियम 3.65 के अधीन विशेष अनुदेशों द्वारा यथा-विहित चेतावनी सिगनलों के प्रयोग से संबंधित हैं, सिगनलों का सही प्रयोग करना जानते हैं।

3. नियम 3.78 के स्थान पर नए नियम का प्रतिस्थापन:- उक्त नियम के नियम 3.78 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्,-

" 3.78. सिगनलों के बारे में इंजन के चालक दल के कर्त्तव्य :- (1) (क) इंजन चालक प्रत्येक सिगनल पर, चाहे उसे उस सिगनल को दिखाए जाने का कारण ज्ञात है या नहीं, तत्काल ध्यान देगा और उसका पालन करेगा ;

(ख) साथ ही इंजन चालक सिगनलों पर ही पूरा विश्वास नहीं करेगा, तथापि सदैव सतर्क और सावधान रहेगा।

(2) (क) यदि उसके इंजन से कोई पटाखा फटता है तब इंजन चालक रूक-रूक कर सीटी बजाएगा और प्रत्येक संभावित सावधानी जिसके अंतर्गत जैसे आवश्यक होने पर गति कम करना जिससे गाड़ी को ठीक प्रकार से अपने नियंत्रण में रख सके और लाइन पर किसी अवरोध से पहले ही रोक सकने में समर्थ हो ;

(ख) इंजन से पटाखा/पटाखे फटने के स्थान से 1.5 किलोमीटर आगे चलने के पश्चात भी यदि और कोई पटाखा/पटाखे नहीं फटते हैं तो वह प्राधिकृत गति पुनः प्राप्त कर सकेगा ; और

(ग) वह इस घटना की रिपोर्ट अगले स्टेशन या केबिन को देगा।

(3) यदि धुन्ध, आंधी या किसी अन्य कारण से सिग्नल दिखने में अवरोधन है तो इंजन चालक गाड़ी को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए सभी संभव सावधानी बरतेगा।

(4) जब इंजन चालक, पटाखा (पटाखे) को छोड़कर किसी अन्य चेतावनी सिग्नल द्वारा अवरोध की सूचना होती है तो वह तुरंत अपनी गाड़ी को रोक देगा और वह चेतावनी सिग्नल देने वाले व्यक्ति की सलाह या उसके स्वयं के द्वारा अवरोध की सूचना के आधार पर कार्य करेगा।

(5) चेतावनी सिग्नल दिखाए जाने का और ब्यौरा पता नहीं लगने की दशा में, दिन में एक मिनट और रात्रि में 2 मिनट के लिए रूकने के पश्चात्, वह सतर्क दृष्टि रखते हुए अगले ब्लॉक सेक्शन तक सतर्कतापूर्वक गाड़ी को आगे ले जाएगा।

(6) इंजन चालक को, रेल के जिस सेक्शन या सेक्शनों पर काम करना है वहां की कार्य पद्धति, सिग्नलों की अवस्थिति और गाड़ियों के परिचालन को प्रभावित करने वाली अन्य स्थानीय परिस्थितियों से अपने आपको पूरी तरह परिचित रखेगा और यदि वह रेल के किसी भाग से, जिस पर उसे काम करना है, परिचित नहीं है तो वह किसी अहंक रेल सेक्टर की सेवाएं सहायता के लिए लेगा, जो ऐसे भाग से परिचित है।

4. नियम 4.16 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 4.16 में, उपनियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) रात्रि में, और धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में जब दिन में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, अनुमोदित डिज़ाइन की एक लाल रौशनी वाली पिछली बत्ती (टेल लैम्प) जो अंतिम वाहन जांच युक्ति को प्रदर्शित करने के लिए क्षणदीप्ति लाल रंग का प्रकाश दर्शाएगी, या"।

[फा. सं. 2001/सेफ्टी (ए एण्ड आर)/19/2]

श्री प्रकाश, सदस्य यातायात और पदेन सचिव

टिप्पण — मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) तारीख 21 जुलाई, 1981 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित संख्याक के द्वारा संशोधन किए गए :-

- (1) सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983,
- (2) सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983,
- (3) सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983,
- (4) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984,

- (5) सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992,
- (6) सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996,
- (7) सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998,
- (8) सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999,
- (9) सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999,
- (10) सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999,
- (11) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 03 जुलाई, 2000,
- (12) सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितंबर, 2000,
- (13) सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवंबर, 2000,
- (14) सा.का.नि. 893 (अ), तारीख 24 नवंबर, 2000,
- (15) सा.का.नि. 913 (अ), तारीख 12 दिसंबर, 2000,
- (16) सा.का.नि. 394 (अ), तारीख 31 मई, 2002,
- (17) सा.का.नि. 842 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2002,
- (18) सा.का.नि. 221 (अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006,
- (19) सा.का.नि. 476 (अ), तारीख 11 अगस्त, 2006,
- (20) सा.का.नि. 477 (अ), तारीख 11 अगस्त, 2006,
- (21) सा.का.नि. 311 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2007,
- (22) सा.का.नि. 694 (अ), तारीख 7 नवंबर, 2007,
- (23) सा.का.नि. 116 (अ), तारीख 29 फरवरी, 2008 और
- (24) सा.का.नि. 847 (अ), तारीख 10 दिसंबर, 2008.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2009

N/A
By

G.S.R. 848(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60 read with section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2009.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Substitution of new rules for rules 3.65, 3.66 and 3.67.**- In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 (hereinafter referred to as the said rules), for rules 3.65, 3.66 and 3.67, the following rules shall be substituted, namely, -

“G. Signals to warn incoming train of danger ahead:

3.65. The signals to be used to warn the incoming train of an

obstruction shall be a red flashing hand signal lamp at night or a red flag during day.

3.66. Use of warning signals.- When it becomes necessary to protect an obstruction in a block section, a signal may be used, as prescribed by special instructions under rule 3.65, while the railway servant proceeds to place detonators.

3.67. Knowledge and possession of warning signals. - (1)(a) All concerned railway servant on whom this duty is laid by the Railway Administration shall keep a stock of such signal as may be prescribed by special instructions under rule 3.65;

(b) the Railway Administration shall be responsible for the supply, renewal and safe custody of such signals as may be prescribed by special instructions under rule 3.65 and for ensuring that their use is properly understood;

(c) The Railway Administration shall supply every Guard, Loco Pilot, Patrolman and Gateman working on the Double or Multiple line, Ghat, Suburban or Automatic Block Territories with such signal as may be prescribed by special instructions under rule 3.65.

(2) Every railway servant concerned with the use of signals as prescribed by special instructions under rule 3.65, shall have a correct knowledge of their use and keep them ready for immediate use.

(3) Every railway servant shall see that the railway servants in his charge concerned with the use of warning signals as prescribed by special instructions under rule 3.65, have a correct knowledge of their use.”

3. Substitution of new rule for rule 3.78.- For rule 3.78 of the said rule, the following rule shall be substituted, namely, -

“3.78. - Duties of engine crew in respect of signals.- (1) (a) The Loco Pilot shall pay immediate attention to and obey every signal whether the cause of the signal being shown is known to him or not;

(b) the Loco Pilot shall not, however, trust entirely to signal, but always be vigilant and cautious.

(2)(a) The Loco Pilot shall whistle intermittently when his engine explodes detonator(s) and take every possible caution including reduction of speed as necessary, so as to have the train well under his control and be able to stop short of any obstruction on the line;

(b) after proceeding 1.5 kilometres from the place where his engine exploded detonator(s), if his engine does not explode any more detonator(s), he may then resume authorized speed; and

(c) report the incident to the next station or cabin.

(3) If in consequence of fog, storm or any other reason, the view of the signal is obstructed, the Loco Pilot shall take every possible precaution, so as to have the train well under control.

(4) When the Loco Pilot notices a signal warning of an obstruction, except detonator(s), he shall stop his train immediately and act on advice of the person exhibiting warning signal or on the basis of obstruction noticed by him.

(5) In case no further details of exhibition of warning signal are noticed, after stopping for one minute by day and two minutes by night to ascertain the location and/or cause of the warning, he shall proceed cautiously upto the next block station, keeping a sharp look out.

(6) The Loco Pilot shall acquaint himself with the system of working, location of signals and other local conditions affecting the running of trains on a section or sections of the railway over which he is to work and if he is not so acquainted with any portion of the railway over which he is to work, obtain the services of a qualified railway servant who is conversant with it to assist him.”

4. Amendment of rule 4.16.- In rule 4.16 of the said rules, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely,-

“(b) by night, as well as in thick, foggy or tempestuous weather impairing visibility during day, a red tail lamp of approved design

displaying a flashing red light to indicate last vehicle check device,
or”.

[F. No.2001/Safety (A & R)/19/2]

SHRI PRAKASH, Member Traffic &
ex-officio Secy.

Note:— *The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section-3, sub-section (I), vide, number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended vide number:-*

- (1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,
- (2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,
- (3) G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983,
- (4) G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984,
- (5) G.S.R. 245, dated the 23rd May, 1992,
- (6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,
- (7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,
- (8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,
- (9) G.S.R. 213 (E), dated the 18th March, 1999,
- (10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999,
- (11) G.S.R. 581(E), dated the 3rd July, 2000,
- (12) G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000,
- (13) G.S.R. 852(E), dated the 8th November, 2000,
- (14) G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000,
- (15) G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000,
- (16) G.S.R. 394(E), dated the 31st May, 2002,
- (17) G.S.R. 842(E), dated the 27th December, 2002,
- (18) G.S.R. 221(E), dated the 19th April, 2006,
- (19) G.S.R. 476(E) dated the 11th August 2006,
- (20) G.S.R. 477(E) dated the 11th August 2006,
- (21) G.S.R. 311(E) dated the 26th April 2007,
- (22) G.S.R. 694(E) dated the 7th November 2007,
- (23) G.S.R. 116(E) dated the 29th February, 2008 and
- (24) G.S.R. 847(E) dated the 10th December, 2008.
